

दिनांक 08.04.2025 को आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में परिषद योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त:-

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. डा0 नीरज शुक्ला	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव
2. डा0 महेश चन्द्र पाण्डेय	वित्त नियंत्रक
3. श्री डी0 वी0 सिंह	मुख्य अभियन्ता
4. श्री हिमांशु गुप्ता	जोनल आवास आयुक्त (लखनऊ जोन)
5. श्रीमती पल्लवी मिश्रा	उप आवास आयुक्त (सम्पत्ति)
6. श्री राहुल यादव	अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त
7. श्री पी0के0 वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, अवध विहार वृत्त (जूम के माध्यम से)
8. श्री डी0के0 गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या वृत्त (जूम के माध्यम से)
9. श्री राम लखन	अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त (जूम के माध्यम से)
10. श्री राकेश चन्द्रा	अधीक्षण अभियन्ता, बागपत वृत्त (जूम के माध्यम से)
11. श्री ए0के0 मित्रल	अधीक्षण अभियन्ता, गाजियाबाद वृत्त (जूम के माध्यम से)
12. श्री राजीव कुमार	अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त (जूम के माध्यम से)
13. श्री अतुल कुमार सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त (जूम के माध्यम से)
14. श्री पंकज पाल	अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त (जूम के माध्यम से)
15. श्री महेन्द्र कुमार	अधीक्षण अभियन्ता, रुहेलखण्ड वृत्त (जूम के माध्यम से)
16. श्री हाशिम इकबाल	अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त (जूम के माध्यम से)
17. श्री प्रशान्त वर्धन	अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त (जूम के माध्यम से)
18. श्री डी0के0 सिंह	सहायक आवास आयुक्त
19. श्री अभिषेक कुमार शुक्ला	सहायक आवास आयुक्त

उक्त बैठक में परिषद योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्तियों, जिनकी विक्रयशीलता बहुत कम/ नगण्य है, के दृष्टिगत सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं एवं जोनल आवास आयुक्तों द्वारा दिनांक 07.04.2025 तक उपलब्ध प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा जिन अधीक्षण अभियन्ताओं एवं जोनल आवास आयुक्तों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये थे, उनको प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। परिषद द्वारा निर्मित रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ, जिसमें कई बार पंजीकरण खोले जाने के पश्चात् भी सम्पत्तियों का निस्तारण न हो पाने के कारण, विक्रय से अवशेष जी+3 एवं बहुमंजिले फ्लैटों के निर्माण मूल्य एवं भूमि दर स्थिर रखने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु परिषद योजनाओं के सामान्य विकसित भूमि दर के पुर्ननिर्धारण हेतु अधीक्षण अभियन्ताओं एवं जोनल आवास आयुक्तों द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रस्ताव एवं संस्तुति के क्रम में आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2025 को सम्पन्न बैठक में परिषद योजनाओं में निर्मित, विक्रय से अवशेष जी+3 एवं बहुमंजिला भवनों के लिए भूमि दर स्थिर रखे जाने का निर्णय लिया जा चुका है। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं जोनल आवास आयुक्त स्तर से

प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार परिषद योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति निम्नवत् तालिका में अंकित है:-

क्र० सं०	वृत्त / जोन का नाम	परियोजना का नाम, जिनमें अविक्रीत परिसम्पत्तियों का निर्माण मूल्य वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्थिर रखने का प्रस्ताव है।	अधी०अभि० एवं जोनल आवास आयुक्त द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रस्ताव का सन्दर्भ
1	2	3	4
1	अवध विहार वृत्त/ लखनऊ जोन	(i) अवध विहार योजना के सेक्टर-2ए में निर्मित मन्दाकिनी एन्क्लेव तथा सेक्टर-2बी में निर्मित भागरथी एन्क्लेव के रिक्त फ्लैट्स। (ii) अवध विहार योजना के सेक्टर-3 में निर्मित अलकनन्दा एन्क्लेव, नन्दनी एन्क्लेव एफ-64 एवं एफ-84, बसेरा-1 (जी+3) एवं बसेरा-2 (जी+3) के रिक्त फ्लैट्स। (iii) अवध विहार योजना के सेक्टर-5 में निर्मित जान्हवी एन्क्लेव एवं एस०बी०आई० एन्क्लेव के रिक्त फ्लैट्स। (iv) अवध विहार योजना के सेक्टर-7ए में निर्मित राप्ती एन्क्लेव, वरूणा एन्क्लेव एवं बसेरा-1 तथा सेक्टर-7डी में निर्मित सरयू एन्क्लेव के रिक्त फ्लैट्स। (v) अवध विहार योजना के सेक्टर-8 में निर्मित गंगोत्री एन्क्लेव, गोमती एन्क्लेव, बसेरा-1 एवं बसेरा-2 के रिक्त फ्लैट्स।	1205/वाई-10/97 दि० 09.04.2025
2	अयोध्या वृत्त/ लखनऊ जोन	लोहरामऊ भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, सुलतानपुर में निर्मित एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. (जी+3) प्रकार के अवशेष आवासीय भवनों के सम्बन्ध में।	826/वाई-21/32 दिनांक 09.04.2025
3	आगरा वृत्त/ आगरा जोन	परिषद की सिन्कदरा योजना आगरा के सेक्टर-2सी में ग्रीन एन्क्लेव 2बी०एच०के० प्रकार के भवन परियोजना के अन्तर्गत निर्मित।	मेमो-139/यू०पी० एच०डी०वी०/आ०जो० दि० 08.04.2025
4	कानपुर वृत्त/ कानपुर जोन	(i) योजना सं०-3 झांसी में निर्मित 36/75 प्रकार के स्ववित्त पोषित भवन (ii) हंसपुरम योजना सं०-2 में निर्मित उच्च आय वर्ग भवन। (iii) स्पनिंग मिल आवासीय योजना इटावा ए-72 प्रकार के एम०आई०जी० सेमी० फिनिशड भवन। (iv) स्पनिंग मिल आवासीय योजना इटावा ए-72 प्रकार के एम०आई०जी० फिनिशड भवन। (v) गंगा एन्क्लेव परियोजना के निर्मित, 3बी०एच०के० के टाइप-1, 3बी०एच०के० के टाइप-2, 2बी०एच०के० के टाइप-1, 2बी०एच०के० + स्टडी प्रकार के फ्लैट्स। (vi) ब्रह्मवर्त अपार्टमेन्ट में निर्मित F-76 (2बी०एच०के० एल०आई०जी०) एवं F-82 (2बी०एच०के० एल०आई०जी०) प्रकार के फ्लैट्स	136/का०जो० दि० 08.04.2025
5	गाजियाबाद वृत्त/ मेरठ जोन	(i) वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-15 में निर्मित शिखर एन्क्लेव के रिक्त फ्लैट्स (ii) सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-7 एवं 10 में निर्मित ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव के रिक्त फ्लैट्स।	1332/पी०आर०पी०- 42डी/ 11 दि० 03.04.2025

21/4/24

6	बागपत वृत्त/ मेरठ जोन	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में निर्मित आसरा एवं सपना एन्क्लेव के रिक्त 1 बी0एच0के0 एवं 02 बी0एच0के0 प्रकार के फ्लैट्स, गुलमोहर एन्क्लेव के रिक्त फ्लैट्स ई0डब्लू0एस0 के रिक्त फ्लैट्स।	पत्रांक-शून्य दि0 02.04.2025
7	मेरठ वृत्त/ मेरठ जोन	जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0-11, मेरठ के एफ-32, एफ-57, एफ-64, एफ-100 एवं एफ-127 प्रकार के एवं सहारनपुर नगर में संचालित शाकुम्भरी विहार योजना में एफ-45 एवं एफ-70 के रिक्त फ्लैट्स।	798/मेरठ-जोन-मेरठ/ एन0पी0आर0-1/43 दि0 09.04.2025
8	रूहेलखण्ड वृत्त/ बरेली जोन	परिषद की मण्डोला योजना सं0-4, भाग-2 के सेक्टर-9ए में निर्मित 1बी0एच0के0 (एस0+4) एवं 2बी0एच0के0 (एस0+4) के रिक्त फ्लैट्स।	पत्र सं0-8/बरेली जोन दिनांक 08.04.205
9	वृन्दावन वृत्त/ लखनऊ जोन	(i) वृन्दावन योजना सं0-04 के सेक्टर-17 में निर्मित नीलगिरि एन्क्लेव सेक्टर-18 में निर्मित एवरेस्ट एन्क्लेव, हिमालय एन्क्लेव फेज-1, 2 व 3, कैलाश एन्क्लेव आसरा व सपना के रिक्त फ्लैट्स एवं सेक्टर-20 में निर्मित गोवर्धन एन्क्लेव के रिक्त फ्लैट्स। (ii) वृन्दावन योजना सं0-1 के सेक्टर-05 में निर्मित आकाश एन्क्लेव के रिक्त फ्लैट्स वृन्दावन योजना सं0-3 के सेक्टर-12 में निर्मित अरावली एन्क्लेव के रिक्त फ्लैट्स (iii) राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के मून्नूखेड़ा एवं बीबीखेड़ा में निर्मित (जी+3) प्रकार के रिक्त फ्लैट्स।	1392/वाई-7/5 दिनांक 09.04.2025

नोट:-

1. उक्त तालिक के कॉलम-3 में अंकित परियोजना के अन्तर्गत निर्मित, अविक्रीत परिसम्पत्तियों के निर्माण मूल्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्थिर रखे जाने पर सहमति बनी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, गाजियाबाद वृत्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में निर्मित गंगा, यमुना एवं हिण्डन एन्क्लेव में विशेष पंजीकरण योजना के अन्तर्गत विक्रय फ्लैटों तथा विक्रय से अशेष 240 नग फ्लैटों को फीट फर लिविंग बनाये जाने हेतु अनुरक्षण पर आने वाले लागत को फ्लैटों पर भारित करते हुए, अविक्रीत फ्लैटों से पूर्व निर्धारित विक्रय मूल्य में 03 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए पंजीकरण खोले जाने का उल्लेख है। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सहमति बनी।
3. एकल स्वामित्व के उपलब्ध अवशेष भवनों की लोकप्रियता के दृष्टिगत वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार आगणित विक्रय मूल्य रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उक्तानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्धकों द्वारा निर्मित परिसम्पत्तियों के पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(डा0 महेश चन्द्र पाण्डेय)

वित्त नियंत्रक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(मूल्यांकन अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001

पृ0सं0 39

/उक्त/

दिनांक

17/4/25

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
2. अपर आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
3. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
4. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. निदेशक, ग्लोबल सेल/गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
7. समस्त जोनल/उप आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
10. समस्त वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय।
12. समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
13. निजी सचिव, आवास आयुक्त को महोदय के अवलोकनार्थ।
14. गार्ड फाईल।

वित्त नियंत्रक

dv singh